न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी ,मालाखेड़ा जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– सुश्री नवज्योति कंवरिया (आर.ए.एस)

प्रा0प0 सं0
1/587

दायर दिनांक
07.12.2020

निर्णय दिनांक
14.02.2025

1. मु. धनमती पत्नि स्व. बत्तूराम
2. रामगोपाल पुत्र स्व. बत्तूराम
3. मानसिंह पुत्र स्व. बत्तूराम
4. शम्भुदयाल पुत्र स्व. बत्तूराम
5. निहालो देवी पत्नि स्व. शोभाराम
6. मुकेश चन्द पुत्र स्व. शोभाराम
7. जितेन्द्र पुत्र स्व. शोभाराम निवासीयान ग्राम हल्दीना, तह0 मालाखेडा
8. श्रीमती माया पुत्री शोभाराम पत्नि नितेश निवासी ग्राम धोलीदूब, तह0 अलवर बहैसियत वारिस काबिज जायदाद मिन जानिब जैसाराम पुत्र पूरा
9. हीरासिंह पुत्र लल्लूराम, निवासी ग्राम हल्दीना, तह0 मालाखेडा बहैसियत वारिस काबिज जायदाद मिन जानिब फतेहराम पुत्र पूरा जाति जाटान

प्रार्थीगण

बनाम,

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मालाखेडा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा
136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

प्रार्थी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण मृतक पुरू के वारिसान है। विवादित आराजीयात गत खसरा नम्बर 753/1 बीघा, 756/1 बीघा 1 बिस्वा, 562/01 बीघा 17 बिस्वा, 562/02 बीघा 01 बिस्वा, 561/01 बीघा 1 बिस्वा, 568/01 बीघा 05 बिस्वा, 572/02 बिस्वा, 560/06 बिस्वा 569/03 बिस्वा, 560/01 बीघा 12 बिस्वा, 560/01 बीघा 10 बिस्वा, 561/02 बिस्वा, 561/01 बीघा 17 बिस्वा, 561/04 बिस्वा, 757/03 बिस्वा, 757/04 बिस्वा 757/14 बिस्वा, 756/01 बीघा 06 बिस्वा, 761/01 बीघा 04 बिस्वा, 560/03 बिस्वा, 757/01 बिस्वा, 758/18 बिस्वा, 760/01 बीघा 12 बिस्वा, 560/03 बिस्वा, 759/01 बीघा 04 बिस्वा, 774/15 बिस्वा, 787/15 बिस्वा, 787/11 बिस्वा, 773/16 बिस्वा, 605/01 बिस्वा, 620/03 बीघा 12 बिस्वा, 643/02 बिस्वा, 645/02 बीघा 06 बिस्वा, 646/04 बीघा 13 बिस्वा, 707/01 बीघा 05 बिस्वा, 698/01 बीघा 01 बिस्वा, 704/01 बीघा 18 बिस्वा, 690/05 बिस्वा, 690/09 बिस्वा, 661/04 बिस्वा, 664/03 बीघा 18 बिस्वा, 666/07 बिस्वा, 672/03 बीघा 18 बिस्वा,

उपखण्ड़ अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

651/01 बीघा 15 बिस्वा, 655/04 बिस्वा, 656/06 बिस्वा, 657/03 बीघा 17 बिस्वा, 658/03 बिस्वा, 659/01 बिस्वा, 660/16 बिस्वा, 720/01 बिस्वा, 657 रकबा 15 बिस्वा, 660 रकबा 1 बिस्वा, 661 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, 671 रकबा 10 बिस्वा, 672 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, 720 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम हल्दीना तहसील मालाखेडा पुरू की खातेदारी की आराजी रही है। पुरू के स्वर्गवास के पश्चात् विवादित आराजी उनके चारों पुत्रान सम्पता, जैसीराम, फतेहराम, मोहरपाल के बहिस्से बराबर दर्ज की गयी। जिसका इन्द्राज जमाबंदी सम्वत् 2012 मे सही हो रहा है। सम्वत् 2020 मे नवीन बंदोबस्त होने पर विवादित आराजी सम्पत 1/2, जैसीराम 1/4, फतेराम 1/4, मोहरपाल 1/4 पिसरान पुरू जाट साकिन देह खातेदार गलत तौर पर दर्ज की गयी है, जबकि बंदोबस्त अधिकारियों पूर्व इन्द्राज के अनुसार ही इन्द्राज करना चाहिये था। हाल बंदोबस्त सम्वत 2051 मे भी बंदोबस्त सम्वत 2020 के अनुसार ही उक्त इन्द्राज सम्पत 1/2, जैसीराम, फतेराम 1/4, मोहरपाल 1/4 गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थीगण के पिता जैसीराम का स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिसान प्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 है, फतेहराम का भ स्वर्गवास हो चुका है, जिसका वारिस प्रार्थी संख्या 09 है। प्रार्थीगण ने बंदोबस्त सम्वत् 2020 व 2051 व उसके बाद की कायमशुदा जमाबंदी आदि मे जो इन्द्राज सम्पत 1/2, जैसीराम, फतेहराम 1/4, मोहरपाल 1/4 दर्ज किया गया है, उसे दुरस्त फरमाया जाकर सम्पत 1/4, जैसीराम 1/4, फतेहराम 1/4 व मोहरपाल 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया तथा सम्पत के वारिस रामदयाल पुत्र रामकुंवार का 1/8 हिस्सा, हरदयाल पुत्र बोदया 1/40, कैलाश पुत्र बोदया 1/40, किशोरी पत्नि छुटटूमल 1/280, लक्ष्मी 1/280, श्रीचन्द 1/280, मछला 1/280, रामकला 1/280, सरस्वती 1/280, गोविन्दा 1/280, जैसीराम के वारिसान धनमती पत्नि बत्तूराम 1/20, रामगोपाल पुत्र बत्तूराम 1/20, मानसिंह पुत्र बत्तू 1/20, शिम्भूदयाल पुत्र बत्तूराम 1/20, निहालो देवी पत्नि शोभाराम 1/80, मुकेश चन्द पुत्र शोभाराम 1/80, जितेन्द्र पुत्र शोभाराम 1/80, माया पुत्री शोभाराम 1/80, फतेहराम के वारिस हीरासिंह का 1/4 व मोहरपाल के वारिस हरिकिशन पुत्र मोहरपाल 1/8, मुथरी देवी पत्नि रामस्वरूप 1/48, बिजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप 1/48, महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप 1/48, जगपाल पुत्र रामस्वरूप 1/48, ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप 1/48, कमला पुत्री रामस्वरूप 1/48 का नाम दर्ज किये जाने का अनुतोष चाहा।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजात पेश किय गयेः—

(1.) सैटलमेन्ट सम्वत् 2051—2070 की प्रमाणित प्रतिलिपि

(2) जमाबंदी सम्वत् 2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि

(3) खतौनी बंदोबस्त (जमाबंदी) सन् 2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

(4) मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2051–2070 की प्रमाणित प्रतिलिपि

(5) मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2020 की प्रमाणित प्रतिलिपि

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार मालाखेडा की रिपोर्ट के तथ्यात्मक बिन्दु इस प्रकार है कि जमाबंदी संख्या 2012 के खाता संख्या 228 के अनुसार खसरा नम्बर 664 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा पर सम्पत, मोहरपाल, जैसीराम, फतेहराम पि0 पुरू हिस्सेदार शामलाती आराजी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी की शेष सभी विवादित आराजी मे से प्रार्थी के मूल पितामाह पुरू के वारिसान हिस्सेदारान के अलावा भी अन्य हिस्सेदारान की शामलात आराजी दर्ज रिकॉर्ड है। (जमाबंदी सम्वत 2012 के खाता संख्या 221, 229, 237) तथा खाता संख्या 222 सिर्फ सम्पत की हिस्सेदारी में, खाता संख्या 223, 235 जैसीराम की खातेदारी में, 224 में मोहरपाल तथा खाता संख्या 225 में सम्पता, जैसीराम, खाता संख्या 226 में सम्पत, मोहरपाल, 227 में जैसीराम, फतेराम की हिस्सेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत 2012 के खाता संख्या 228 मे दर्ज खसरा संख्या 664 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा का सम्वत् 2020 के खाता संख्या 242 के अनुसार सम्पत हि0 1/2, जैसीराम हि0 1/8, फतेहराम हि0 1/8, मोहरपाल हि0 1/4 खसरा नम्बर 1619 मि0 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा पर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2036–39 के खाता संख्या–349 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1619 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा पर रामकंवार, बोदया, किशोर पि0 सम्पता हि0 1/2 बत्तू पि0मु0 जैसीराम हि0 1/8, फतेराम पुत्र पुरा 1/8, मोहरपाल पुत्र पूरा हि0 1/4 कौम जाट सा0 देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा खाता संख्या 28 के अनुसार खसरा नम्बर 1620 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा पर कन्हैया, किशनलाल पि0 ग्यारसा सा0 देह खातेदार दर्ज है। खाता संख्या 136 के अनुसार खसरा संख्या 1632 रकबा 9 बीघा 13 बिस्वा पर टिमटी पुत्र नारायण 1/3, रामखिलाडी पुत्र अंगद 7/18 हि0, लल्लू पुत्र अंगद हि0 1/18, टिमटी, कल्ली पि0 नारायण हि0 2/9 सा0 देह खातेदार दर्ज हैं जमाबंदी सम्वत् 2020 में खसरा संख्या 1619, 1632 में खाता संख्या 242, 100 के अनुसार ही रिकॉर्ड था व इसी प्रकार भू प्रबंध जमाबंदी सम्वत् 2051 के खाता संख्या 42, 183, 418 में भी बदस्तूर रहा है। अतः स्पष्ट है कि सम्वत् 2012 के मूल खसरा संख्या 664 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा में से 3 बीघा 18 बिस्वा, ख0न0 1619 मि0 (सम्वत् 2020) व 0.96 है0 (ख0न0 2275, 2276) में सम्वत् 2051 में आया है तथा शेष रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, 1620 मि0 व 1 बीघा 1 बिस्वा, 1632 मि0 सम्वत् 2020 में तथा 2267, 2269 रकबा 0.88 (सम्वत् 2051) में तथा रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा सम्वत् 2020 में 1632 मि0 में तथा ख0न0 3058, 3084, 3085 मे रकबा 0.27 है0 सम्वत् 2051 में शामिल हो चुका है। अर्थात खसरा नम्बर 664 मि0 का 3 बीघा 18 बिस्वा रकबा ही मूल खातेदारों के हिस्से में चले आ रहा है, शेष रकबा अन्य

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज0

खातेदारों के हिस्से में आ चुका है। जमाबंदी सम्वत् 2072—2075 के खाता संख्या 39, 204, 156, 518, 554 के अनुसार बदस्तुर है।

पत्रावली पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र मे बंदोबस्त सम्वत् 2020 व 2051 तथा उसके बाद की कायमशुदा जमाबंदी में इन्द्राज सम्पत 1/2 जैसीराम, फतेराम 1/4, मोहरपाल 1/4 हिस्सा को दुरस्त किया जाकर सम्पत के वारिसान को 1/4, जैसीराम के वारिसान को 1/4, फतेराम के वारिसान को 1/4, मोहरपाल के वारिसान को 1/4 के हिसाब से निम्न प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड मे दुरस्ती फरमाये जाने का निवेदन किया है कि सम्पत के वारिसान रामदयाल पुत्र रामकुंवार का 1/8 हिस्सा, हरदयाल पुत्र बोदया 1/40 हिस्सा, कैलाश पुत्र बोदया 1/40 हिस्सा, किशोरी पत्नि छुटमल 1/280, लक्ष्मी 1/280, श्रीचंद 1/280, मछला 1/280, रामकला 1/280, सरस्वती 1/280, गोविन्दा 1/280, जैसीराम के वारिसान धनमती पत्नि बत्तूराम 1/20, रामगोपाल पुत्र बत्तूराम 1/20, मानसिंह पुत्र बत्तू 1/20, शिम्भूदयाल पुत्र बत्तूराम 1/20 निहालो देवी पत्नि शोभाराम 1/80, मुकेश चंद पुत्र शोभाराम 1/80, फतेराम के वारिस हिरासिंह का 1/4 व मोहरपाल के वारिस हरिकिशन का 1/8, मुथरी देवी पत्नि रामस्वरूप 1/48, बिजेन्द्र पुत्र रामस्वरूप 1/48, महेन्द्र पुत्र रामस्वरूप 1/48, जगपाल पुत्र रामस्वरूप 1/48, ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप 1/48, कमला पुत्री रामस्वरूप का 1/48 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज किया जावें।

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा—136 का सार इस प्रकार है कि भू अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकिय त्रुटि और ऐसी त्रुटियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा, जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरिक्षण के दौरान नोटिस देख लें। परन्तु जब राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरिक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जावे तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नही जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नही दे दिया गया है।

उक्त राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—136 के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि यह धारा वार्षिक रजिस्टरों में इन्द्राज के सम्बन्ध में उत्पन्न विवादों के निपटारे तक ही सीमित है तथा हितबद्ध पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

उप ... मालाखेड़ा, अलवर राज०

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल निर्णय दिनांक 17 मई 1962 बउनवान प्रतापसिंह बनाम स्टेट, अपील संख्या–55/उदयपुर 1961 के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण यहां प्रासंगिक है, जो कि इस प्रकार है:–

" *This appeal has been preferred against the order of Sub Divisional officer,Udaipur,dated- 07/01/1960 by which he has rejected the application of the appellant seeking to have corrected the enteries in the settlement record over the disputed land. Obivously such an application is not contemplated under sec.136 of the Rajasthan Land Revenue Act 1956. It has been contended on behalf of the appellant that the prayer was also for the correction in the enteries in the annual registeres. Suffice it to say in this connection that simply because in the last para of the application which contained only the grievances against the enteries in the settlement record could not because an application for the correction of enteries in the annual registeres. If the appellant feels aggrieved with any enteries in the settlement records, he should go in for a regular suit. Through such an application he could have got the enteries corrected only during the pendency of the record and settlement operations. Once they have been closed correction in the enteries made therein cannot be obtained by an application under sec.136.*

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टान्त से स्पष्ट हैं कि भ–प्रबन्ध अभिलेख में इन्द्राज से जुडी शिकायत पर नियमित दावे से ही अनुतोष सम्भव है।

इस प्रकार उपर्युक्त विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०

यह निर्णय आंज दिनांक 14.02..2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नवज्योति कंवरिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर) राज०